

दावा सं. ८२५
५/६/१८

निर्णित
५/६/१८

राजस्थान लोक अदालत अभियान

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जिला

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) वीणे का वरखेडा
न्याय आपके द्वारे २०१८

क्रमांक :- कैम्प कोर्ट / १८/५६७२

आदेश

दिनांक :- ५/६/१८

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी वीणे का वरखेडा व भूअ.नि. मोडरेण की रिपोर्ट तथा तहसीलदार देसा / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६ के अनुसरण में ग्राम बैरावास तहसील देसा व जिला .. देसा की जमाबन्दी सम्वत् २०७०-२०७३ में खाता संख्या ३२ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
१.	बैरावास	३२	घासी पुत्र नरयण	घासी पुत्र त्रिनारायण

पीठासीन अधिकारी कलक्टर
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर,

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

१. तहसीलदार.....को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
२. प्रार्थी श्री.....को सूचनार्थ।
३. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर.....

f

पर ५/६/१८ ३२